

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--:: आदेश::--

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के नियम-32 परिशिष्ट-1 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित निजी सहायक ग्रेड-11 को निजी सहायक ग्रेड-1 पद की वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन तिथि 01.04.2023 को चयनोपरांत इन्हें निजी सहायक ग्रेड-1 पद की वेतन श्रृंखला पे मेट्रिक्स एल-11 में पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

निजी सहायक ग्रेड-1 को नव पदस्थापित स्थान पर दिनांक 22.09.2023 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष, संस्था प्रधान इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। यदि कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 05.10.2023 तक पंजिकृत डाक से एवं मेल आई.डी. sogad2019@gmail.com पर भिजवावे एवं परित्याग का इन्द्राज मय वर्ष कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जावे। निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की दशा में स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा।

क्र.स.	वरि.क्रमांक	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
01.	01	महेश चंद्र पानेरी	22.12.1964	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Rajsamand	Office of Chief District Education Officer and Ex officio District Project Coordinator, SMSA, Rajsamand
02.	04	विजय शंकर आचार्य	25.08.1980	Office of Directorate Secondary Education, Rajasthan, Bikaner	Office of Directorate Secondary Education, Rajasthan, Bikaner

नोट - कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)कार्मिक/क-2/95 पार्ट दिनांक 16.03.2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार उपरोक्त पदोन्नत अभ्यर्थियों में से ऐसे कार्मिक जिनके दिनांक 01.06.2002 के पश्चात संतानोत्पत्ति से संतानों की संख्या 2 से अधिक होने के कारण प्रथम बार पदोन्नति देय हो रही है। उनका वेतन चयन तिथि से पदोन्नित पद पर नियत किया जायेगा, किन्तु वह तीन पश्चात्पूर्व वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होंगे और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात उसे ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तविक लाभ अनुज्ञ होंगे। तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

(काना राम)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/निजी सचिव/पद./2023

दिनांक 08.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर/उदयपुर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, राजसमंद।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram, निदेशक
Designation: Director

Date: 2023.09.08 17:45:56, राजस्थान

Reason: Approved, बीकानेर

RajKaj Ref No. : 4651978

